भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 4865

सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

4865. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का क्षेत्र-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और अनुमोदन का वर्ष क्या है और कुल स्वीकृत परियोजना लागत कितनी है;

(ख) उक्त योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार वर्गीकरण क्या है;

(ग) उक्त योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है;

(घ) अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं पूरी हुईं, कार्यान्वित की जा रही हैं और अभी शुरू नहीं हुई हैं;

(ङ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी परियोजनाओं की लागत में संशोधन किया गया, समय-सीमा में विस्तार किया गया अथवा जिनके कार्यान्वयन में बाधाएं आ रही हैं और इसके क्या कारण हैं;

(च) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और परिणामों का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या निगरानी और मूल्यांकन तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का क्षेत्र-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित, जारी और

उपयोग की गई राशि सहित विवरण अनुबंध-I में संलग्न है। ये परियोजनाएं सड़क, भवन, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है।

एसएएससीआई के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक/भाग-वार विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

(घ) से (ङ): राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एसएएससीआई के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। लागत संशोधन, समय-सीमा विस्तार और अन्य कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं के कुछ कारणों में वर्षा/बर्फबारी के कारण कुछ राज्यों में सीमित कार्यदिवस, निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब तथा स्थानीय मामलों के कारण होने वाला विलंब शामिल हैं।

(च): केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय परियोजनाओं के राज्य के हिस्से को पूरा करने हेतु एसएएससीआई के अंतर्गत शुरु की गई परियोजनाओं/योजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध-III के रूप में संलग्न है।

(छ): एसएएससीआई के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का समय पर निष्पादन और परिणामों का आकलन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। एसएएससीआई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में जारी की गई राशि को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष में एसएएससीआई के अंतर्गत निधियों का निर्गमन पिछले वित्तीय वर्ष में एसएएससीआई के अंतर्गत जारी निधियों के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) पर आधारित होता है। इसके अलावा यूसी के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रयुक्त शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में एसएएससीआई के अंतर्गत अनुमोदित राशि से घटा दिया जाता है।

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-I

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2020-21 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	उपयोग की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	26	688.00	688.00	688.00
2	अरुणाचल प्रदेश	22	232.97	232.97	108.12
3	असम	12	450.00	450.00	450.00
4	बिहार	3	843.00	843.00	843.00
5	छत्तीसगढ़	69	286.00	286.00	286.00
6	गोवा	5	97.66	97.66	97.66
7	गुजरात	6	285.00	285.00	285.00
8	हरियाणा	1	91.00	91.00	91.00
9	हिमाचल प्रदेश	74	533.00	533.00	533.00
10	झारखंड	6	277.00	277.00	113.50
11	कर्नाटक	27	305.00	305.00	305.00
12	केरल	1	163.00	81.50	81.50
13	मध्य प्रदेश	25	1,320.00	1,320.00	1,320.00
14	महाराष्ट्र	68	514.00	514.00	514.00
15	मणिपुर	16	317.16	317.16	241.54
16	मेघालय	26	200.00	200.00	181.20
17	मिजोरम	13	200.00	200.00	200.00
18	नागालैंड	14	200.00	200.00	200.00
19	उड़ीसा	22	471.50	471.50	427.62
20	पंजाब	33	296.50	296.50	296.50
21	राजस्थान	33	1,002.00	1,002.00	947.41
22	सिक्किम	9	200.00	200.00	200.00
23	तमिलनाडु	-	0.00	0.00	0.00
24	तेलंगाना	44	358.00	358.00	311.20
25	त्रिपुरा	66	300.00	300.00	201.57
26	उत्तर प्रदेश	4	976.00	976.00	976.00
27	उत्तराखंड	207	675.00	675.00	571.27
28	पश्चिम बंगाल	32	630.00	630.00	630.00
	कुल	**864**	**11,911.79**	**11,830.29**	**11,100.09**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-I (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2021-22 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	उपयोग की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	34	501.79	501.79	501.79
2	अरुणाचल प्रदेश	154	490.27	371.19	490.27
3	असम	5	600.00	600.00	600.00
4	बिहार	2	1,246.50	1,246.50	961.50
5	छत्तीसगढ़	95	423.00	423.00	423.00
6	गोवा	10	111.04	111.04	111.04
7	गुजरात	3	432.00	432.00	288.00
8	हरियाणा	2	135.00	135.00	90.00
9	हिमाचल प्रदेश	199	800.00	800.00	624.81
10	झारखंड	16	409.50	246.00	163.50
11	कर्नाटक	3	451.50	451.50	451.50
12	केरल	2	238.50	238.50	238.50
13	मध्य प्रदेश	17	1,533.05	1,512.36	1,512.36
14	महाराष्ट्र	73	783.00	771.73	723.23
15	मणिपुर	15	288.47	212.85	277.72
16	मेघालय	17	300.00	281.20	300.00
17	मिजोरम	64	299.99	299.99	299.99
18	नागालैंड	23	300.00	300.00	300.00
19	उड़ीसा	13	561.00	517.12	488.38
20	पंजाब	33	223.50	223.50	135.40
21	राजस्थान	2	747.00	692.41	692.41
22	सिक्किम	16	300.00	300.00	300.00
23	तमिलनाडु	13	505.50	505.50	505.50
24	तेलंगाना	64	260.94	214.14	261.00
25	त्रिपुरा	167	300.00	118.54	233.40
26	उत्तर प्रदेश	24	2,224.50	1,483.00	820.15
27	उत्तराखंड	197	528.63	263.92	398.71
28	पश्चिम बंगाल	17	933.00	933.00	897.67
	कुल	**1280**	**15,927.68**	**14,185.78**	**13,089.83**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-I (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2022-23 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	उपयोग की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	158	6,105.56	6,105.56	5,924.59
2	अरुणाचल प्रदेश	202	1,579.52	1,564.10	1,365.07
3	असम	185	4,300.14	4,300.14	3,729.53
4	बिहार	136	8,740.85	8,455.85	8,018.21
5	छत्तीसगढ़	279	3,465.42	2,941.97	2,181.76
6	गोवा	38	572.75	572.75	572.75
7	गुजरात	142	4,189.82	4,045.82	3,750.42
8	हरियाणा	7	1,312.00	1,267.00	1,262.55
9	हिमाचल प्रदेश	49	825.99	650.80	650.80
10	झारखंड	337	2,964.32	2,964.32	2,371.27
11	कर्नाटक	25	3,399.35	3,399.35	3,241.96
12	केरल	126	1,902.74	1,902.74	931.22
13	मध्य प्रदेश	120	7,339.51	7,360.20	7,289.51
14	महाराष्ट्र	345	6,803.93	6,744.16	5,835.93
15	मणिपुर	36	764.47	467.22	341.67
16	मेघालय	131	1,049.02	1,049.02	921.00
17	मिजोरम	89	497.50	297.50	297.50
18	नागालैंड	77	504.16	504.16	504.16
19	उड़ीसा	1	75.00	75.00	75.00
20	पंजाब	79	1,609.32	798.22	530.21
21	राजस्थान	195	5,650.23	5,595.64	5,620.61
22	सिक्किम	33	551.36	551.36	551.36
23	तमिलनाडु	14	4,011.27	4,011.27	3,827.27
24	तेलंगाना	44	2,500.98	2,500.98	2,124.16
25	त्रिपुरा	19	699.45	349.79	271.16
26	उत्तर प्रदेश	26	15,778.84	7,940.50	8,603.34
27	उत्तराखंड	78	1,253.92	1,124.01	1,201.33
28	पश्चिम बंगाल	352	6,699.77	3,655.92	3,655.92
	कुल	**3323**	**95,147.19**	**81,195.35**	**75,650.26**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-I (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2023-24 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र.स.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	उपयोग की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	55	4,357.45	4,090.81	4,090.81
2	अरुणाचल प्रदेश	428	2,745.00	2,363.42	2,284.62
3	असम	345	6,555.54	5,804.43	4,692.00
4	बिहार	131	10,422.80	8,814.80	8,198.22
5	छत्तीसगढ़	473	3,749.77	3,365.25	3,407.00
6	गोवा	46	849.65	695.20	582.84
7	गुजरात	203	4,583.48	4,254.32	4,025.79
8	हरियाणा	19	1,879.00	1,702.05	1,701.50
9	हिमाचल प्रदेश	79	1,758.72	1,515.97	1,381.21
10	झारखंड	171	5,255.12	4,580.61	4,361.61
11	कर्नाटक	32	4,761.77	3,879.24	3,676.15
12	केरल	22	928.90	0.00*	661.78
13	मध्य प्रदेश	388	12,828.21	12,636.21	12,494.21
14	महाराष्ट्र	327	7,219.23	5,376.31	5,829.72
15	मणिपुर	41	1,010.87	542.70	361.15
16	मेघालय	183	1,593.17	1,293.06	1,248.99
17	मिजोरम	214	1,096.19	743.28	627.19
18	नागालैंड	108	1,069.39	973.20	864.35
19	उड़ीसा	90	5,270.40	3,532.14	3,356.87
20	पंजाब	12	385.23	0.00*	25.00
21	राजस्थान	469	8,758.04	8,513.42	8,041.60
22	सिक्किम	25	864.08	797.85	731.62
23	तमिलनाडु	20	5,836.83	5,326.42	5,000.00
24	तेलंगाना	131	3,243.01	1,948.34	2,325.15
25	त्रिपुरा	217	966.20	662.92	712.98
26	उत्तर प्रदेश	252	19,898.71	19,215.08	17,251.87
27	उत्तराखंड	126	2,082.30	1,911.71	1,843.74
28	पश्चिम बंगाल	494	7,523.00	5,015.58	5,015.58
	कुल	**5101**	**1,27,492.05**	**1,09,554.30**	**1,04,793.55**

*एसएएससीआई 2022-23 के अंतर्गत जारी निधियों के अप्रयुक्त शेष निधि से राशि प्रदान की गई।

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-I (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2024-25 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	उपयोग की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	130	8,054.39	7,901.56	6,561.29
2	अरुणाचल प्रदेश	121	2,646.96	2,470.96	2,034.97
3	असम	729	7,548.61	7,427.50	6,108.97
4	बिहार	202	15,831.67	14,791.32	11,782.23
5	छत्तीसगढ़	692	6,288.15	6,103.57	5,938.49
6	गोवा	68	1,384.21	1,266.54	1,076.32
7	गुजरात	192	6,212.57	5,958.26	5,577.17
8	हरियाणा	76	1,778.94	1,458.56	1,465.46
9	हिमाचल प्रदेश	82	2,357.49	2,381.37	2,005.39
10	झारखंड	97	3,684.83	2,718.32	2,456.29
11	कर्नाटक	39	5,165.48	5,296.12	4,773.30
12	केरल	52	2,950.93	2,715.67	2,056.25
13	मध्य प्रदेश	396	12,589.24	12,424.92	11,874.27
14	महाराष्ट्र	578	8,369.86	8,063.08	7,948.94
15	मणिपुर	88	1,773.63	1,436.82	840.09
16	मेघालय	200	2,334.93	2,369.63	2,004.39
17	मिजोरम	72	1,402.18	1,361.09	1,112.18
18	नागालैंड	216	1,594.33	1,599.73	823.80
19	उड़ीसा	114	7,104.27	6,943.55	6,433.62
20	पंजाब	155	2,585.53	2,269.31	2,179.03
21	राजस्थान	362	9,591.57	9,139.21	8,955.70
22	सिक्किम	52	1,768.24	1,742.14	1,496.68
23	तमिलनाडु	96	7,388.03	7,345.86	5,858.31
24	तेलंगाना	220	3,344.39	2,727.24	1,922.30
25	त्रिपुरा	635	1,579.49	1,586.68	1,367.79
26	उत्तर प्रदेश	386	18,685.60	17,223.82	16,424.56
27	उत्तराखंड	142	2,595.66	2,455.84	1,858.75
28	पश्चिम बंगाल	518	10,354.74	10,305.06	10,011.62
	कुल	**6710**	**1,56,965.88**	**1,49,483.73**	**1,32,948.16**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-I (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	322	8,459.61	8,289.61
2	अरुणाचल प्रदेश	347	2,120.27	1,959.05
3	असम	754	8,689.29	8,763.90
4	बिहार	175	8,207.59	7,199.80
5	छत्तीसगढ़	353	7,314.47	7,440.86
6	गोवा	156	2,078.99	2,078.99
7	गुजरात	286	7,400.84	7,106.97
8	हरियाणा	6	922.47	922.47
9	हिमाचल प्रदेश	360	3,340.16	3,385.04
10	झारखंड	171	2,544.10	1,655.05
11	कर्नाटक	66	4,741.62	4,741.62
12	केरल	100	2,671.19	2,629.06
13	मध्य प्रदेश	221	13,622.78	13,533.11
14	महाराष्ट्र	729	11,329.52	11,367.23
15	मणिपुर	143	1,571.09	871.55
16	मेघालय	257	2,332.76	2,332.60
17	मिजोरम	178	1,597.27	1,510.75
18	नागालैंड	166	1,462.90	1,266.05
19	उड़ीसा	413	3,888.24	3,606.48
20	पंजाब	418	4,107.53	3,891.06
21	राजस्थान	598	10,851.75	10,547.88
22	सिक्किम	55	1,393.69	1,393.69
23	तमिलनाडु	354	8,370.57	8,666.08
24	तेलंगाना	263	4,092.58	4,208.83
25	त्रिपुरा	457	2,451.55	2,448.43
26	उत्तर प्रदेश	529	15,092.57	14,646.97
27	उत्तराखंड	196	2,065.38	2,071.00
28	पश्चिम बंगाल	248	5,662.90	5,465.90
29	दिल्ली	43	821.26	542.03
30	जम्मू और कश्मीर	654	5,266.47	5,166.47
31	पुडुचेरी	81	407.57	291.50
	कुल	**9099**	**1,54,878.96**	**1,50,000.00**

***एसएएससीआई 2025-26 के तहत जारी की जाने वाली राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र 2026-27 में देय है।**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2020-21 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य	2020-21 (भाग- I)		2020-21 (भाग- II)		2020-21 (भाग- III)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	26	688.00	0	0.00	0	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	22	232.97	0	0.00	0	0.00
3	असम	12	450.00	0	0.00	0	0.00
4	बिहार	3	843.00	0	0.00	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	69	286.00	0	0.00	0	0.00
6	गोवा	0	0.00	4	65.66	1	32.00
7	गुजरात	0	0.00	6	285.00	0	0.00
8	हरियाणा	1	91.00	0	0.00	0	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	74	533.00	0	0.00	0	0.00
10	झारखंड	6	277.00	0	0.00	0	0.00
11	कर्नाटक	27	305.00	0	0.00	0	0.00
12	केरल	0	0.00	1	81.50	0	0.00
13	मध्य प्रदेश	0	0.00	16	660.00	9	660.00
14	महाराष्ट्र	68	514.00	0	0.00	0	0.00
15	मणिपुर	16	317.16	0	0.00	0	0.00
16	मेघालय	26	200.00	0	0.00	0	0.00
17	मिजोरम	13	200.00	0	0.00	0	0.00
18	नागालैंड	14	200.00	0	0.00	0	0.00
19	उड़ीसा	21	388.00	0	0.00	1	83.50
20	पंजाब	33	296.50	0	0.00	0	0.00
21	राजस्थान	33	1,002.00	0	0.00	0	0.00
22	सिक्किम	9	200.00	0	0.00	0	0.00
23	तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	तेलंगाना	44	358.00	0	0.00	0	0.00
25	त्रिपुरा	50	200.00	0	0.00	16	100.00
26	उत्तर प्रदेश	4	976.00	0	0.00	0	0.00
27	उत्तराखंड	126	450.00	0	0.00	81	225.00
28	पश्चिम बंगाल	32	630.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**729**	**9,637.63**	**27.00**	**1,092.16**	**108.00**	**1,100.50**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2021-22 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य	2021-22 (भाग- I)		2021-22 (भाग- II)		2021-22 (भाग- III)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	34	501.79	0	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	154	371.19	0	0.00	0	0.00
3	असम	5	600.00	0	0.00	0	0.00
4	बिहार	0	0.00	2	1,246.50	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	0	0.00	95	423.00	0	0.00
6	गोवा	0	0.00	10	111.04	0	0.00
7	गुजरात	0	0.00	3	432.00	0	0.00
8	हरियाणा	0	0.00	2	135.00	0	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	199	800.00	0	0.00	0	0.00
10	झारखंड	0	0.00	16	246.00	0	0.00
11	कर्नाटक	0	0.00	3	451.50	0	0.00
12	केरल	0	0.00	2	238.50	0	0.00
13	मध्य प्रदेश	0	0.00	13	973.50	4	538.86
14	महाराष्ट्र	0	0.00	73	771.73	0	0.00
15	मणिपुर	15	212.85	0	0.00	0	0.00
16	मेघालय	17	281.20	0	0.00	0	0.00
17	मिजोरम	64.00	299.99	0	0.00	0	0.00
18	नागालैंड	23	300.00	0	0.00	0	0.00
19	उड़ीसा	0	0.00	13	517.12	0	0.00
20	पंजाब	0	0.00	33	223.50	0	0.00
21	राजस्थान	0	0.00	2	692.41	0	0.00
22	सिक्किम	16	300.00	0	0.00	0	0.00
23	तमिलनाडु	0	0.00	13	505.50	0	0.00
24	तेलंगाना	0	0.00	64	214.14	0	0.00
25	त्रिपुरा	167	118.54	0	0.00	0	0.00
26	उत्तर प्रदेश	24	1,483.00	0	0.00	0	0.00
27	उत्तराखंड	197	263.92	0	0.00	0	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	17	933.00	0	0.00
	कुल	**881**	**5,030.69**	**395**	**8,616.23**	**4**	**538.86**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2022-23 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य	2022-23 (भाग- I)		2022-23 (भाग- II)		2022-23 (भाग- III)		2022-23 (भाग- IV)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	72	4839.11	2	202.00	2	229.75	2	65.63
2	अरुणाचल प्रदेश	196	1390.48	3	87.85	0	0.00	2	35.77
3	असम	164	3753.00	2	156.00	0	0.00	5	109.54
4	बिहार	114	7754.07	20	490.36	1	125.19	1	86.23
5	छत्तीसगढ़	247	2202.55	27	168.42	2	309.00	0	0.00
6	गोवा	34	463.50	1	19.00	0	0.00	2	40.25
7	गुजरात	107	2638.00	3	174.00	0	0.00	1	110.52
8	हरियाणा	1	829.00	3	55.00	0	0.00	1	83.00
9	हिमाचल प्रदेश	42	488.81	3	42.00	0	0.00	3	69.99
10	झारखंड	330	2646.00	3	165.00	0	0.00	3	69.32
11	कर्नाटक	14	2918.00	2	182.00	0	0.00	8	143.35
12	केरल	112	1540.00	2	96.00	1	44.45	6	77.29
13	मध्य प्रदेश	99	6280.00	11	393.00	2	105.34	2	112.17
14	महाराष्ट्र	326	4994.23	8	316.00	2	228.40	1	91.73
15	मणिपुर	26	275.75	3	36.00	0	0.00	2	22.81
16	मेघालय	127	921.00	2	38.00	0	0.00	1	40.02
17	मिजोरम	86.00	200.00	1	25.00	0	0.00	1	22.50
18	नागालैंड	70	455.00	5	28.43	0	0.00	2	20.73
19	उड़ीसा	0	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00
20	पंजाब	76	634.90	1	90.00	0	0.00	2	73.32
21	राजस्थान	168	4733.85	7	301.00	0	0.00	5	75.96
22	सिक्किम	26	442.98	1	19.00	0	0.00	5	39.38
23	तमिलनाडु	3	3263.00	8	204.00	0	0.00	1	120.27
24	तेलंगाना	39	1682.00	1	100.00	2	573.40	1	55.58
25	त्रिपुरा	11	216.34	4	35.00	0	0.00	3	48.45
26	उत्तर प्रदेश	3	6512.66	14	896.91	0	0.00	1	80.93
27	उत्तराखंड	59	764.09	2	56.00	0	0.00	2	65.92
28	पश्चिम बंगाल	318	2973.19	30	376.00	0	0.00	3	74.73
	कुल	**2870**	**65811.496**	**169**	**4,751.97**	**12**	**1,615.53**	**66**	**1,835.39**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2022-23 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2022-23 (भाग-V)		2022-23 (भाग-VI)		2022-23 (भाग-VII)		2022-23 (भाग-VIII)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	1	126.00	2	643.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1	50.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	1	79.00	10	190.00	0.00	0.00	3	12.60
4	बिहार	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	2	65.00	1	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	1	50.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	1	154.00	30	969.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	1	65.00	1	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	1	50.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	1	84.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कर्नाटक	1	156.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	केरल	1	85.00	4	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	1	185.00	3	189.00	1	20.69	1	75.00
14	महाराष्ट्र	1	286.00	4	789.30	0.00	0.00	3	38.50
15	मणिपुर	1	50.00	4	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मेघालय	1	50.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	1	50.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	उड़ीसा	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1	75.00
20	पंजाब	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	राजस्थान	1	175.00	14	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22	सिक्किम	1	50.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	तमिलनाडु	1	184.00	1	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तेलंगाना	1	90.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	1	50.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	1	300.00	0	0.00	0.00	0.00	7	150.00
27	उत्तराखंड	1	50.00	14	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	1	232.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**25**	**2,716.00**	**86**	**4,093.16**	**1**	**20.69**	**15**	**351.10**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2023-24 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2023-24 (भाग- I)		2023-24 (भाग- II)		2023-24 (भाग- III)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	नहीं। परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	59	3,929.31	1	11.50	0	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	421	2,222.52	0	0.00	1	29.40
3	असम	270	4,121.39	4	52.40	40	682.50
4	बिहार	125	8,614.40	3	60.70	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	416	3,170.24	7	68.62	0	0.00
6	गोवा	36	540.40	1	3.50	5	38.94
7	गुजरात	132	3,322.34	16	152.48	5	206.00
8	हरियाणा	4	1,043.55	1	50.00	1	381.00
9	हिमाचल प्रदेश	56	1,162.01	4	25.00	1	69.20
10	झारखंड	167	4,367.45	1	6.70	0	0.00
11	कर्नाटक	20	3,124.95	2	116.82	5	77.00
12	केरल	0	0.00	0	0.00	15	0.00
13	मध्य प्रदेश	338	11,629.21	2	25.00	36	690.00
14	महाराष्ट्र	301	4,717.36	1	32.29	8	212.60
15	मणिपुर	35	343.76	0	0.00	2	103.00
16	मेघालय	167	1,022.48	0	0.00	0	98.49
17	मिजोरम	201	466.69	1	3.50	6	82.00
18	नागालैंड	101	851.70	0	0.00	2	25.30
19	उड़ीसा	76	2,946.21	1	13.46	6	116.00
20	पंजाब	0	0.00	1	0.00*	10	0.00*
21	राजस्थान	440	7,968.22	2	70.80	11	259.40
22	सिक्किम	20	581.62	0	0.00	3	150.00
23	तमिलनाडु	3	3,895.00	0	0.00	9	905.00
24	तेलंगाना	79	1,024.58	0	0.00	9	356.50
25	त्रिपुरा	213	491.92	0	0.00	1	83.80
26	उत्तर प्रदेश	217	17,939.00	0	71.14	16	321.32
27	उत्तराखंड	104	1,624.41	6	33.30	2	36.00
28	पश्चिम बंगाल	494	5,015.58	0	0.00	0	0.00
	कुल	**4495**	**96,136.30**	**54**	**797.21**	**194**	**4,923.45**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2023-24 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2023-24 (भाग- IV)		2023-24 (भाग-V)		2023-24 (भाग-VI)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	2	150.00	0	0.00	1	0.00*
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	5	17.50	1	94.00
3	असम	28	248.24	1	67.50	1	113.00
4	बिहार	0	0.00	2	33.35	1	106.34
5	छत्तीसगढ़	0	0.00	4	26.00	46	100.39
6	गोवा	0	0.00	2	25.00	1	50.00
7	गुजरात	35	400.00	11	72.50	1	101.00
8	हरियाणा	12	150.00	0	0.00	1	77.50
9	हिमाचल प्रदेश	15	125.00	1	25.00	1	66.00
10	झारखंड	2	125.00	0	0.00	1	81.46
11	कर्नाटक	2	200.00	1	132.00	1	96.50
12	केरल	6	0.00*	1	0.00*	0	0.00
13	मध्य प्रदेश	11	150.00	0	0.00	1	142.00
14	महाराष्ट्र	14	199.99	2	116.50	1	97.57
15	मणिपुर	0	0.00	3	21.44	1	74.50
16	मेघालय	0	0.00	14	25.00	1	66.00
17	मिजोरम	3	75.00	1	25.00	1	63.50
18	नागालैंड	0	0.00	1	10.45	1	72.50
19	उड़ीसा	1	300.00	5	62.91	1	93.56
20	पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	राजस्थान	0	0.00	15	114.00	1	101.00
22	सिक्किम	0	0.00	1	13.23	1	53.00
23	तमिलनाडु	1	200.00	4	108.19	1	111.50
24	तेलंगाना	6	350.00	36	116.26	1	101.00
25	त्रिपुरा	1	0.00	0	0.00	1	57.00
26	उत्तर प्रदेश	15	200.00	0	0.00	3	185.12
27	उत्तराखंड	12	125.00	1	25.00	1	68.00
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**166**	**2,998.23**	**111**	**1,036.81**	**71**	**2,172.44**

*एसएएससीआई 2022-23 के अंतर्गत जारी निधियों के अप्रयुक्त शेष निधि से राशि प्रदान की गई।

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2023-24 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2023-24 (भाग-VII)		2023-24* (भाग-VIII)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00
3	असम	1	519.40	0	0.00
4	बिहार	0	0.00	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00
6	गोवा	1	37.35	0	0.00
7	गुजरात	0	0.00	0	0.00
8	हरियाणा	0	0.00	0	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	1	43.76	0	0.00
10	झारखंड	0	0.00	0	0.00
11	कर्नाटक	1	131.98	0	0.00
12	केरल	0	0.00	0	0.00
13	मध्य प्रदेश	0	0.00	0	0.00
14	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00
15	मणिपुर	0	0.00	0	0.00
16	मेघालय	1	81.09	0	0.00
17	मिजोरम	1	27.59	0	0.00
18	नागालैंड	3	13.25	0	0.00
19	उड़ीसा	0	0.00	0	0.00
20	पंजाब	0	0.00	0	0.00
21	राजस्थान	0	0.00	0	0.00
22	सिक्किम	0	0.00	0	0.00
23	तमिलनाडु	2	106.73	0	0.00
24	तेलंगाना	0	0.00	0	0.00
25	त्रिपुरा	1	30.20	0	0.00
26	उत्तर प्रदेश	1	498.50	0	0.00
27	उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00
	कुल	**13**	**1,489.85**	**0**	**0.00**

*कोई भी राज्य एसएएससीआई 2023-24 के भाग-VIII के अंतर्गत प्रोत्साहन जारी करने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सका और न ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सका।

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2024-25 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2024-25 (भाग- I)		2024-25 (भाग- II)		2024-25 (भाग- III)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	**आंध्र प्रदेश**	63	4452.00	0	0.00	2	113.75
2	**अरुणाचल प्रदेश**	37	1869.74	0	0.00	1	30.68
3	**असम**	475	4300.00	0#	180.50	2	126.64
4	**बिहार**	158	10021.66	0	0.00	2	97.10
5	**छत्तीसगढ़**	431.00	2728.30	0	0.00	2	97.46
6	**गोवा**	11	319.50	0	0.00	2	124.21
7	**गुजरात**	89	2658.81	0#	72.50	2	99.70
8	**हरियाणा**	6	346.66	0	0.00	0	0.00
9	**हिमाचल प्रदेश**	16	1134.10	0#	68.76	0	0.00
10	**झारखंड**	76	1088.42	0	0.00	1	23.01
11	**कर्नाटक**	22	3009.00	0#	263.98	2	131.45
12	**केरल**	26	1916.26	0#	60.00	2	102.33
13	**मध्य प्रदेश**	174	6404.92	0	0.00	2	131.54
14	**महाराष्ट्र**	189	3173.48	0#	116.50	2	96.39
15	**मणिपुर**	48	762.04	0	0.00	1	59.06
16	**मेघालय**	127	844.00	0#	147.09	2	131.04
17	**मिजोरम**	27	687.50	0#	27.59	0	0.00
18	**नागालैंड**	142	769.85	0#	96.20	0	0.00
19	**उड़ीसा**	39	3643.59	0#	62.91	2	131.93
20	**पंजाब**	70	742.39	0	0.00	1	35.28
21	**राजस्थान**	53	4624.47	0	0.00	2	96.31
22	**सिक्किम**	14	532.50	0#	66.23	2	109.27
23	**तमिलनाडु**	56	4470.69	0#	106.73	3	112.13
24	**तेलंगाना**	162	1340.96	0	0.00	2	93.61
25	**त्रिपुरा**	409	380.97	0#	87.20	1	64.48
26	**उत्तर प्रदेश**	384	13519.41	0	0.00	0	101.83
27	**उत्तराखंड**	81	1385.62	0#	25.00	1	66.00
28	**पश्चिम बंगाल**	271	6207.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**3656**	**83333.83**	**0**	**1381.18**	**39**	**2175.20**

#वर्ष 2023-24 में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए शेष राशि जारी की गई।

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2024-25 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2024-25 (भाग- IV)		2024-25 (भाग-V)		2024-25 (भाग-VI)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	4	800.00	0	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2	10.24	23	200.00	0	0.00
3	असम	2	37.66	79	800.00	0	0.00
4	बिहार	1	63.16	0	0.00	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	1	95.52	76	800.00	0	0.00
6	गोवा	1	3.00	38	600.00	0	0.00
7	गुजरात	7	121.92	1	200.00	0	0.00
8	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	5	332.44
9	हिमाचल प्रदेश	3	21.08	21	400.00	0	0.00
10	झारखंड	0	0.00	1	200.00	0	0.00
11	कर्नाटक	1	123.53	0	0.00	0	0.00
12	केरल	1	65.00	0	0.00	0	0.00
13	मध्य प्रदेश	6	34.43	5	600.00	0	0.00
14	महाराष्ट्र	3	98.68	28	400.00	0	0.00
15	मणिपुर	0	0.00	19	400.00	0	0.00
16	मेघालय	0	0.00	5	300.00	0	0.00
17	मिजोरम	0	0.00	21	400.00	0	0.00
18	नागालैंड	0	0.00	43	400.00	0	0.00
19	उड़ीसा	0	0.00	9	400.00	0	0.00
20	पंजाब	1	5.81	18	400.00	0	0.00
21	राजस्थान	3	23.74	40	400.00	14	288.33
22	सिक्किम	2	10.10	13	400.00	0	0.00
23	तमिलनाडु	0	0.00	5	600.00	0	0.00
24	तेलंगाना	0	0.00	1	200.00	0	0.00
25	त्रिपुरा	1	8.00	76	300.00	0	0.00
26	उत्तर प्रदेश	2	118.81	0	0.00	0	330.96
27	उत्तराखंड	0	0.00	17	200.00	0	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**37**	**840.68**	**543**	**9400.00**	**19**	**951.73**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2024-25 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2024-25 (भाग-VII)		2024-25* (भाग-VIII)		2024-25 (भाग-IX)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	5	783.03	0	0.00	1	607.05
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	32	263.55
3	असम	6	55.92	0	0.00	15	309.67
4	बिहार	1	111.77	0	0.00	5	1238.03
5	छत्तीसगढ़	11	77.36	0	0.00	29	511.00
6	गोवा	4	67.36	0	0.00	2	38.21
7	गुजरात	31	679.17	0	0.00	27	521.70
8	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	38	85.10
9	हिमाचल प्रदेश	3	56.56	0	0.00	1	124.50
10	झारखंड	1	96.94	0	0.00	1	327.39
11	कर्नाटक	5	137.85	0	0.00	1	547.05
12	केरल	5	79.88	0	0.00	6	288.75
13	मध्य प्रदेश	61	853.27	0	0.00	1	1177.50
14	महाराष्ट्र	62	369.33	0	0.00	2	947.55
15	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	6	70.88
16	मेघालय	0	0.00	0	0.00	3	115.05
17	मिजोरम	3	15.18	0	0.00	9	49.50
18	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	4	55.99
19	उड़ीसा	0	0.00	0	0.00	2	679.20
20	पंजाब	7	48.78	0	0.00	5	271.05
21	राजस्थान	24	276.13	0	0.00	12	903.90
22	सिक्किम	3	40.31	0	0.00	4	58.20
23	तमिलनाडु	6	287.40	0	0.00	1	611.85
24	तेलंगाना	7	53.54	0	0.00	2	208.10
25	त्रिपुरा	40	105.00	0	0.00	8	106.20
26	उत्तर प्रदेश	3	145.13	0	0.00	2	2690.85
27	उत्तराखंड	3	22.57	0	0.00	3	110.68
28	पश्चिम बंगाल	5	95.20	0	0.00	1	1128.45
	कुल	**296**	**4457.68**	**0**	**0.00**	**223**	**14046.96**

*कोई भी राज्य एसएएससीआई 2023-24 के भाग-VIII के अंतर्गत प्रोत्साहन जारी करने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सका और न ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सका।

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2024-25 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2024-25 (भाग-X)		2024-25 (भाग-XI)		2024-25 (भाग-XII)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	3	113.52	8	250.00	37	746.46
2	अरुणाचल प्रदेश	26	90.00	0	0.00	0	0.00
3	असम	15	149.16	48	500.00	87	967.95
4	बिहार	10	147.18	0	0.00	25	3112.42
5	छत्तीसगढ़	16	133.32	57	500.00	60	1054.29
6	गोवा	5	66.00	0	0.00	5	48.25
7	गुजरात	7	125.70	19	250.00	2	1076.26
8	हरियाणा	2	43.10	12	450.00	13	201.26
9	हिमाचल प्रदेश	13	87.12	19	350.00	2	103.75
10	झारखंड	9	107.58	5	250.00	2	609.97
11	कर्नाटक	2	127.38	4	500.00	2	455.88
12	केरल	10	79.20	0	0.00	0	0.00
13	मध्य प्रदेश	8	187.44	40	500.00	81	2429.16
14	महाराष्ट्र	5	141.90	19	500.00	261	1952.75
15	मणिपुर	10	98.34	2	0.00	0	0.00
16	मेघालय	4	87.12	22	250.00	12	237.34
17	मिजोरम	7	83.82	0	0.00	0	0.00
18	नागालैंड	11	95.70	0	0.00	0	0.00
19	उड़ीसा	1	124.74	21	500.00	40	1401.18
20	पंजाब	4	90.13	34	450.00	14	225.88
21	राजस्थान	1	109.11	45	500.00	157	1864.73
22	सिक्किम	1	69.96	7	250.00	3	120.07
23	तमिलनाडु	14	147.18	10	500.00	1	509.88
24	तेलंगाना	16	133.3200	21	250.00	8	387.71
25	त्रिपुरा	1	75.24	0	0.00	60	219.09
26	उत्तर प्रदेश	8	251.83	0	0.00	0	0.00
27	उत्तराखंड	1	86.76	31	350.00	5	209.21
28	पश्चिम बंगाल	7	96.43	44	450.00	190	2327.98
	कुल	**217**	**3148.28**	**468**	**7550.00**	**1067**	**20261.45**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2025-26 (भाग- I)		2025-26 (भाग- II)		2025-26 (भाग- III)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	212	6,303.75	0	0.00	2	390.00
2	अरुणाचल प्रदेश	142	990.79	0	0.00	3	79.81
3	असम	421	4,614.77	0#	76.84	3	301.83
4	बिहार	142	5,557.86	0#	33.35	26	966.96
5	छत्तीसगढ़	283	4,470.00	0#	126.39	6	320.51
6	गोवा	39	442.75	0	0.00	7	37.25
7	गुजरात	160	4,123.26	0	0.00	5	335.60
8	हरियाणा	2	717.00	0	0.00	1	105.47
9	हिमाचल प्रदेश	228	1,635.00	9	294.88	1	80.09
10	झारखंड	168	1,307.99	0#	81.46	1	210.60
11	कर्नाटक	37	3,589.50	0	0.00	23	351.90
12	केरल	42	1,172.87	0#	48.00	15	185.75
13	मध्य प्रदेश	34	7,494.83	0#	142.00	36	757.46
14	महाराष्ट्र	443	6,156.19	0#	97.57	1	609.54
15	मणिपुर	118	470.47	0	0.00	2	69.09
16	मेघालय	151	1,131.75	0#	25.00	4	48.85
17	मिजोरम	41	216.48	16	275.00	0	0.00
18	नागालैंड	91	567.81	1	250.00	3	36.24
19	उड़ीसा	342	2,689.24	0	0.00	21	436.91
20	पंजाब	311	2,154.75	0	0.00	3	174.36
21	राजस्थान	364	5,606.36	0#	170.21	6	432.00
22	सिक्किम	17	573.75	0	0.00	8	37.44
23	तमिलनाडु	185	4,014.00	0#	295.51	1	393.59
24	तेलंगाना	192	2,758.00	0#	116.26	2	202.83
25	त्रिपुरा	198	926.88	0	0.00	2	68.32
26	उत्तर प्रदेश	480	11,324.40	0	0.00	11	1730.96
27	उत्तराखंड	127	1,442.30	0#	68.00	12	71.20
28	पश्चिम बंगाल	234	4,740.00	0	0.00	14	725.90
29	दिल्ली	41	472.56	0	0.00	2	69.47
30	जम्मू और कश्मीर	568	4,290.09	2	100.00	10	210.526
31	पुडुचेरी	77	199.11	1	64.24	2	23.15808
	कुल	**5890**	**92,154.50**	**29**	**2,264.69**	**233**	**9,463.56**

#वर्ष 2023-24 और 2024-25 में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए शेष राशि जारी की गई है।

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2025-26 (भाग- IV)		2025-26 (भाग-V)		2025-26 (भाग-VI)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	2	100.00	2	62.79
2	अरुणाचल प्रदेश	187	700.26	0	0.00	0	0.00
3	असम	145	1,246.68	52	500.00	22	75.50
4	बिहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	11	1,357.78	0	0.00	0	0.00
6	गोवा	1	153.84	47	500.00	0	0.00
7	गुजरात	43	1,386.17	9	500.00	0	0.00
8	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	8	100.00	6	66.57
10	झारखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	कर्नाटक	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	केरल	0	0.00	2	100.00	0	0.00
13	मध्य प्रदेश	60	3,128.65	0	0.00	12	278.20
14	महाराष्ट्र	117	2,516.92	19	100.00	2	167.86
15	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	मिजोरम	27	199.27	8	100.00	0	0.00
18	नागालैंड	0	0.00	9	100.00	0	0.00
19	उड़ीसा	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	पंजाब	0	0.00	23	200.00	28	211.25
21	राजस्थान	108	2,401.69	6	200.00	5	68.80
22	सिक्किम	0	0.00	2	100.00	3	45.00
23	तमिलनाडु	69	1,625.70	0	0.00	1	34.90
24	तेलंगाना	0	0.00	0	0.00	2	22.16
25	त्रिपुरा	33	282.18	18	100.00	0	0.00
26	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0	0.00	2	473.61
27	उत्तराखंड	0	0.00	7	200.00	0	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00	0	0.00
29	दिल्ली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	20	100.00	2	10.25
31	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**801**	**14,999.14**	**232**	**3,000.00**	**87**	**1,516.89**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2025-26 (भाग-VII)		2025-26 (भाग-VIII)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	17	221.07	10	125.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00
3	असम	10	476.10	2	115.00
4	बिहार	3	288.13	1	60.00
5	छत्तीसगढ़	7	504.89	3	40.00
6	गोवा	0	0.00	1	35.00
7	गुजरात	13	215.33	0	0.00
8	हरियाणा	0	0.00	2	30.00
9	हिमाचल प्रदेश	54	352.00	5	20.00
10	झारखंड	0	0.00	0	0.00
11	कर्नाटक	2	292.97	1	90.00
12	केरल	6	133.44	3	40.00
13	मध्य प्रदेश	39	920.02	1	25.00
14	महाराष्ट्र	84	935.40	1	90.00
15	मणिपुर	0	0.00	0	0.00
16	मेघालय	0	0.00	0	0.00
17	मिजोरम	8	60.00	2	15.00
18	नागालैंड	0	0.00	5	15.00
19	उड़ीसा	21	155.08	4	20.00
20	पंजाब	17	100.00	6	40.00
21	राजस्थान	28	450.98	5	60.00
22	सिक्किम	3	60.00	1	10.00
23	तमिलनाडु	18	592.62	7	150.00
24	तेलंगाना	10	422.64	5	80.00
25	त्रिपुरा	13	60.00	0	0.00
26	उत्तर प्रदेश	17	440.00	5	30.00
27	उत्तराखंड	0	0.00	2	25.00
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00
29	दिल्ली	0	0.00	0	0.00
30	जम्मू और कश्मीर	6	60.00	1	4.59
31	पुडुचेरी	0	0.00	1	5.00
	कुल	**376**	**6,740.67**	**74**	**1,124.59**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-II (जारी)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का घटक-वार/हिस्से-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2025-26 (भाग-IX)		2025-26 (भाग-X)	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	8	250.00	69	837.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	15	188.19
3	असम	20	350.00	79	1,007.18
4	बिहार	0	0.00	3	293.50
5	छत्तीसगढ़	20	350.00	23	271.30
6	गोवा	40	650.00	21	260.15
7	गुजरात	0	0.00	56	546.61
8	हरियाणा	0	0.00	1	70.00
9	हिमाचल प्रदेश	42	500.00	7	336.50
10	झारखंड	0	0.00	2	55.00
11	कर्नाटक	0	0.00	3	417.25
12	केरल		250.00	32	699.00
13	मध्य प्रदेश	23	350.00	16	436.96
14	महाराष्ट्र	0	0.00	62	693.75
15	मणिपुर	0	0.00	23	332.00
16	मेघालय	87	600.00	15	527.00
17	मिजोरम	38	350.00	38	295.00
18	नागालैंड	0	0.00	57	297.00
19	उड़ीसा	0	0.00	25	305.25
20	पंजाब	61	350.00	30	660.70
21	राजस्थान	7	350.00	69	807.84
22	सिक्किम	11	350.00	10	217.50
23	तमिलनाडु	11	339.88	62	1,219.89
24	तेलंगाना	0	0.00	52	606.95
25	त्रिपुरा	71	500.00	122	511.05
26	उत्तर प्रदेश	0	0.00	14	648.00
27	उत्तराखंड	0	0.00	48	264.50
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00
29	दिल्ली	0	0.00	0	0.00
30	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	45	391.01
31	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00
	कुल	**439**	**5,539.88**	**999**	**13,196.08**

दिनांक 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-III (जारी)

केंद्र प्रायोजित स्कीमों/केंदीय परियोजनाओं के राज्य के हिस्से को प्राप्त करने हेतु पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत परियोजनाओं/स्कीमों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	2022-23		2024-25		2025-26	
		परियोजनाओं /योजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं/ योजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	परियोजनाओं /योजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	2	229.75	1	607.05	2	390.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	32	263.55	3	79.81
3	असम	0	0.00	15	309.67	3	301.83
4	बिहार	1	125.19	5	1238.03	26	966.96
5	छत्तीसगढ़	2	309	29	511.00	6	320.51
6	गोवा	0	0.00	2	38.21	7	37.25
7	गुजरात	0	0.00	27	521.70	5	335.60
8	हरियाणा	0	0.00	38	85.10	1	105.47
9	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	1	124.50	1	80.09
10	झारखंड	0	0.00	1	327.39	1	210.60
11	कर्नाटक	0	0.00	1	547.05	23	351.90
12	केरल	1	44.45	6	288.75	15	185.75
13	मध्य प्रदेश	2	105.34	1	1177.50	36	757.46
14	महाराष्ट्र	2	228.4	2	947.55	1	609.54
15	मणिपुर	0	0.00	6	70.88	2	69.09
16	मेघालय	0	0.00	3	115.05	4	48.85
17	मिजोरम	0	0.00	9	49.50	0	0.00
18	नागालैंड	0	0.00	4	55.99	3	36.24
19	उड़ीसा	0	0.00	2	679.20	21	436.91
20	पंजाब	0	0.00	5	271.05	3	174.36
21	राजस्थान	0	0.00	12	903.90	6	432.00
22	सिक्किम	0	0.00	4	58.20	8	37.44
23	तमिलनाडु	0	0.00	1	611.85	1	393.59
24	तेलंगाना	2	573.4	2	208.10	2	202.83
25	त्रिपुरा	0	0.00	8	106.20	2	68.32
26	उत्तर प्रदेश	0	0.00	2	2690.85	11	1730.96
27	उत्तराखंड	0	0.00	3	110.68	12	71.20
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	1	1128.45	14	725.90
29	दिल्ली	एनए	एनए	एनए	एनए	2	69.47
30	जम्मू और कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	10	210.53
31	पुडुचेरी	एनए	एनए	एनए	एनए	2	23.16
	कुल	**12**	**1615.53**	**223**	**14046.96**	**233**	**9463.56**